आई. सी. एस. एस. आर. "सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना के लिए 'विज़न विकसित भारत@2047' पर विशेष कॉल" के तहत भारतीय शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित करता है।

दिशा-निर्देश

जैसा कि डोमेन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और थिंक टैंकों द्वारा परिकल्पना की गई है, भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत की निरंतर वृद्धि और उन्नति सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी प्रगति की गतिशील विशेषताओं पर आधारित होगी जो कि काफी हद तक युवाओं के बीच अनुसंधान और नवाचार के लिए संसाधन बंदोबस्ती और क्षमताओं पर निर्भर है।

सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, अंतःविषयी होने और आगमनात्मक और निगमनात्मक दृष्टिकोण, केस विधियां, खोजपूर्ण और प्रयोगात्मक डिजाइन जैसी मिश्रित पद्धतियों को नियोजित करने और दोनों पर आधारित होने की वज़ह से प्राथमिक और द्वितीयक डेटा, संभावित समस्याओं, मुद्दों और चुनौतियों की पहचान कर सकता है जिन्हें विकसित और स्थिर राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के नीति निर्माताओं द्वारा चिन्हित करने की आवश्यकता है।

इस दृष्टिकोण को निर्धारित समय के भीतर साकार करने के लिए, भारत को रणनीतिक नीति हस्तक्षेप और अनुसंधान आधारित सुधारों की आवश्यकता है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने नागरिकों की संभावित प्रतिभा और क्षमताओं के मूल्यांकन में तेजी लाएगा। इसलिए, आईसीएसएसआर नीतिगत हस्तक्षेप एवं राजनीति कार्रवाई के लिए प्राथमिकता के विषयों और उप-विषयों पर "विजन विकसित भारत@2047 पर सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विशेष कॉल" के तहत भारतीय शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित करके 'विजन विकसित भारत@2047' के पहल में योगदान देने का प्रस्ताव करता है।

सहयोगात्मक अनुसंधान दल जिसमें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों (साथ ही प्राकृतिक विज्ञान और विशिष्ट क्षेत्रों में मानविकी) के शोधकर्ता शामिल होगें, से आमतौर पर सामाजिक-आर्थिक वृद्धि और विकास के उप-क्षेत्र में विशिष्ट और साक्ष्य-आधारित नीति और अन्य क्षेत्रों में सुधारात्मक सुझाव मिलने की उम्मीद की जाती है।

1. विज़न विकसित भारत@2047 अनुसंधान प्रस्ताव की रूपरेखा

सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना की दल में चार से छह अनुसंधानकर्त्ता शामिल हो सकते हैं। आईसीएसएसआर कई संस्थानों को एक साथ आने और सहयोगात्मक अध्ययन का प्रस्ताव देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अध्ययन में किसी पहचाने गए क्षेत्र या किसी विशेष विषय, उप-विषय या पहल

जैसे कि उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वोत्तर भारत, केंद्र शासित प्रदेश और विशेष श्रेणी के राज्य आदि के व्यापक मूल्यांकन का समायोजन होना चाहिए। अध्ययन के क्षेत्र को भौगोलिक सीमाओं के आधार पर भी रेखांकित किया जा सकता है, जैसे राजनीतिक विभाजन या आर्थिक विशेषताएँ।

प्रस्तावों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि अध्ययन क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण नमूना आकार शामिल हो और पहचाने गए क्षेत्र में संभावित विकास के लिए अनुसंधान के एक विशेष विषय/क्षेत्र का आकलन किया जाए। क्षेत्रीय इकाइयों/कार्यालयों के स्थान और संचालित परियोजनाओं के स्थानों के विवरण के साथ भौगोलिक कवरेज (कवर किए गए गांव/ब्लॉक और जिले) को विशेष रूप से चार्ट फॉर्म में दिखाया जाना चाहिए।

प्रस्तावों में विकसित भारत@2047 विज़न के लिए तथ्य-आधारित और क्रिया-उन्मुख भविष्यवादी शोध की गुंजाइश होनी चाहिए जिसमें विशिष्ट शोध विषय एक बहुत ही प्रासंगिक साहित्य समीक्षा जो सावधानीपूर्वक विकसित परिकल्पनाओं, उद्देश्यों, शोध प्रश्नों, वैज्ञानिक और व्यवस्थित हो, की पृष्ठभूमि शामिल होनी चाहिए। उसमें विशिष्ट दायरे के साथ अनुसंधान पद्धति (अनुसंधान डेटा के नमूने के प्रकार और स्रोत, साक्षात्कार अनुसूची/प्रश्नावली और आने वाले परिणामों के लिए नियोजित किए जाने वाले उपकरण और सॉफ़्टवेयर निर्दिष्ट करना) और शमन रणनीतियों को कवर करने वाली सीमाओं का भी समावेश होना चाहिए। प्रस्तावित अध्ययन में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण शामिल होने चाहिए जिसका उद्देश्य क्रिया-उन्मुख, व्यावहारिक और प्रयोगात्मक विश्लेषण हैं। उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों से अग्रणी प्रथाओं के प्रभाव का आकलन करना भी शामिल है।

जो विषय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में मज़बूत बहु-विषयक पद्धतियों और रूपरेखाओं की मांग करते हैं, वैसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक अनुसंधानकर्त्ताओं और प्राकृतिक वैज्ञानिकों दोनों दलों की आवश्यकता होगी।

आई. सी. एस. एस. आर. द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली दो प्रकार की सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं (सीआरपी) हैं:

ए. खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना

बी. खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना

ए. खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना:

शोधकर्ता विभिन्न संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न विषयों में से सहयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए 4 से 6 शोधकर्ताओं की एक टीम बना सकते हैं। परियोजना निदेशकों (पीडी) में से एक

सहयोगात्मक अध्ययन के परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य करेगा और परियोजना उस संस्थान में रखी जाएगी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। परियोजना समन्वयक अध्ययन के सफल समापन के लिए जिम्मेदार होगा।

अनुसंधान अनुदान राशि परियोजना समन्वयक की संबद्ध संस्था के पीएफएमएस खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

फ़ील्ड सर्वेक्षण: प्रस्तावित फ़ील्ड सर्वेक्षण के लिए नमूना आकार अध्ययन के तहत जनसंख्या की जनसांख्यिकी और संबोधित किए जाने वाले विशिष्ट शोध प्रश्नों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। हालाँकि, प्रस्तावित नमूना आकार सर्वेक्षण जनसंख्या के 20% से कम नहीं हो सकता है जिसे चयनित क्षेत्र के भीतर और विभिन्न श्रेणियों के बीच समान रूप से और आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना चाहिए।

सीआरपी टीम आवश्यक डेटा के संग्रह के लिए एक मानक साक्षात्कार अनुसूची/प्रश्नावली तैयार करेगी। डेटा संग्रह उपकरणों विश्वसनीयता के साथ प्रमाणित और मान्य होने चाहिए।

बी. खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना:

श्रेणी 'ए' के लिए ऊपर उल्लिखित अनुसंधान ढांचे के अलावा, अनुसंधान टीम जो श्रेणी 'बी' के लिए आवेदन करने को तैयार है, वह चयनित विषय/अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत पहले से ही की गई प्रौद्योगिकी/नवाचार पर उपलब्ध स्रोतों को शामिल करते हुए प्रस्ताव भी तैयार करेगी। इस अभ्यास का उद्देश्य उपलब्ध प्रौद्योगिकी/नवाचार की पहचान करना है जो अप्रयुक्त पड़ी है और जिसे क्रांतिकारी जीवन-परिवर्तनकारी क्षमता का एहसास करने के लिए प्रभावी ढंग से सार्वजनिक उपयोग में लाया जा सकता है।

इस प्रकार, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का दस्तावेज़ीकरण प्राथमिक सर्वेक्षण स्तर पर किया जाएगा।

मौजूदा प्रौद्योगिकी के दायरे की पहचान करने के बाद, पहचानी गई प्रौद्योगिकी का विस्तार करना और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार प्रौद्योगिकी को अनुकूलित करना अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं होंगी।

प्राथमिक सर्वेक्षण स्तर/प्रयोगशाला जांच पर प्राप्त परिणामों को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और सर्वेक्षण आबादी के न्यूनतम 20% से प्रतिक्रिया प्राप्त की जाएगी।

निष्कर्षों के आधार पर अगले पांच वर्षों में आजीविका दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी परिणाम और उद्यम निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अनुसंधान के व्यापक और सहयोगात्मक ढांचे को ध्यान में रखते हुए दल के लिए प्राकृतिक विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले कम से कम एक परियोजना निदेशक और भारत के किसी भी कॉर्पोरेट घराने के अनुसंधान और विकास क्षेत्र से एक परियोजना निदेशक को शामिल करना अनिवार्य है। दोनों को प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखनी ज़रूरी हैं।

श्रेणी 'ए' और 'बी' के लिए संभावित अनुसंधान विधियों और सुझाए गए अनुसंधान क्षेत्रों के बारे में विवरण नीचे सारणीबद्ध रूप में दिए गए हैं:-

A. 'ए' खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के तहत अध्ययन के पहचाने गए विषय और उप-विषय इस प्रकार हैं

विषयवस्तु और उपविषय	**अनुसंधान का प्रकार**	**अनुसंधान के क्षेत्र**
1. आर्थिक समृद्धि और स्थिरता		
1. एक प्राकृतिक संसाधन और क्षेत्रीय विकास		
भौगोलिक संकेतों को बढ़ावा देने के लिए रणनीति (जीआईएस) उत्पाद	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• जीआई उत्पादों की बाजार पहुंच और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार • जीआई उत्पाद संवर्धन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स • उपभोक्ता धारणा और जीआई उत्पादों की प्राथमिकताएं
एग्रीटेक- भारतीय कृषि में आमूल परिवर्तन	अनुप्रयुक्त उत्तर और सर्वोत्तम अभ्यास...	• किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए आईसीटी समाधान • आपूर्ति श्रृंखला निष्पक्षता और गुणवत्ता निर्धारण के लिए ब्लॉकचेन बीमा • फसल सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नवाचार
उत्तर-पूर्व में संभावित आजीविका अध्ययन	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• पारिस्थितिक पर्यटन और समुदाय-आधारित पर्यटन उद्यम • नृवंशविज्ञान ज्ञान और औषधीय पादप संरक्षण

		• पारंपरिक चिकित्सकों और उपचार पद्धतियों के लिए नीति समर्थन
1.बी आर्थिक समृद्धि		
वैश्विक व्यापार और वित्त में भारत	खोजपूर्ण और व्यावहारिक शोध	• वैश्विक व्यापार और वित्त में भारतीय प्रवासियों की भूमिका जिसमें भारत और उसके विदेशी समुदायों के बीच राशि अंतरण, निवेश संबंध, ज्ञान हस्तांतरण और सांस्कृतिक संबंध में उनका योगदान शामिल है। • सतत व्यापार और पर्यावरण शासन • सीमा पार ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार • समाधान ढांचे के साथ व्यापार विवाद और निवेशक-राज्य विवाद।
संभावित वैश्विक सेवा क्षेत्र	खोजपूर्ण और व्यावहारिक शोध	• फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल वित्तीय सेवाएं • भारत के ई-लर्निंग प्लेटफार्म • डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ और टेलीमेडिसिन बीपीओ सेवा क्षेत्र • आईटी, स्वास्थ्य देखभाल और वित्त जैसे सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवाचार पर के.पी.ओ. का प्रभाव
बुनियादी ढांचा और रसद	खोजपूर्ण, अनुप्रयुक्त और प्रायोगिक अनुसंधान	• इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) • रसद सहकारी नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता • बुनियादी ढांचे का विकास और संसाधन-आधारित अर्थव्यवस्थाएं (परिवहन नेटवर्क और ऊर्जा प्रणाली, संसाधन निष्कर्षण को सुविधाजनक

		बनाने और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने में)
आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• आपूर्ति श्रृंखला डिजिटल ट्विन और प्रतिरूप मॉडलिंग (सिमुलेशन मॉडलिंग) (मांग में उतार-चढ़ाव, क्षमता की कमी और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान सहित) • आपूर्ति श्रृंखला वित्त और कार्यशील पूंजी प्रबंधन • सतत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में डिजिटल परिवर्तन
वित्तीय स्वतंत्रता और श्रम बल भागीदारी	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• श्रम शक्ति भागीदारी पर पारिवारिक संरचना और सामाजिक मानदंडों का प्रभाव • श्रम बल भागीदारी पर शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का प्रभाव • वित्तीय स्वतंत्रता और श्रम बल भागीदारी में लैंगिक असमानताएँ • लैंगिक धन असमानता को उजागर करना: वित्तीय स्वायत्तता में प्रभावशाली कारकों की जांच करना • लचीली कार्य व्यवस्थाएँ और कार्य-जीवन संतुलन: श्रम बल भागीदारी पर प्रभाव
पर्यटन एवं आजीविका	खोजपूर्ण और व्यावहारिक शोध	• पर्यटन उद्यमिता और स्वदेशी समुदाय (सांस्कृतिक, व्यवसाय, चिकित्सा, वन्यजीव, अंतरिक्ष, ग्रामीण) पर्यटन अनौपचारिकता और आजीविका सुरक्षा
सतत आजीविका और ग्रामीण परिवर्तन	खोजपूर्ण और व्यावहारिक शोध	• ग्रामीण व्यावसायिक और आजीविका विविधीकरण रणनीतियाँ • रोजगार परिदृश्य बदलना

		• डिजिटल प्रौद्योगिकी और ग्रामीण आजीविका, ग्रामीण पर्यटन
2. मानव संसाधन, समग्र वृद्धि एवं विकास		
2. (ए) समावेशी सामाजिक विकास		
जनसांख्यिकीय बदलाव	खोजपूर्ण और व्यावहारिक शोध	• बदलती पारिवारिक संरचनाएँ: रुझान और प्रभाव; विभिन्न आयु समूहों में रोजगार के रुझान: अवसर और चुनौतियाँ
नारी सशक्तीकरण: महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• कार्यस्थल में लैंगिक अंतर से संबंधित मुद्दे; • लिंग सशक्तिकरण; ग्लास सीलिंग की रणनीतियाँ (वाक्यांश 'गलास सीलिंग' महिलाओं और अल्पसंख्यकों की व्यावसायिक उन्नति के लिए एक अदृश्य बाधा है जो लिंग भेदभाव को खत्म करने के लिए उच्च-भुगतान वाले करियर, पदोन्नति, नेतृत्व की स्थिति, समान वेतन और कार्यस्थल भेदभाव से मुक्ति में बाधाओं से संबंधित है); • लिंग आधारित हिंसा के उन्मूलन के लिए रणनीतियाँ; तस्करी का उन्मूलन: मूल कारणों को संबोधित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण।
क्षमता निर्माण और उद्यमिता युवाओं के लिए विकास	खोजपूर्ण और व्यावहारिक शोध	• युवा उद्यमिता कौशल और मानसिकता को बढ़ावा देने में उद्यमशीलता, शिक्षा की प्रभावशीलता, डिजिटल उद्यमिता एवं सामाजिक उद्यमिता जो कि युवाओं को उद्यम में सक्षम बनाती है

सबके लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता	खोजपूर्ण और व्यावहारिक शोध	• निवारक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता, मानसिक स्वास्थ्य विकारों की व्यापकता और परिणामों की खोज करना, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्वास्थ्य साक्षरता की भूमिका की जांच करना
सामाजिक सुरक्षा और वृद्ध जनसंख्या	खोजपूर्ण और व्यावहारिक शोध	• गरिमा का संरक्षण: वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना; वृद्ध समुदायों में सामाजिक कल्याण कायम रखना: सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना
समतामूलक और समावेशी समाज; बच्चे, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, वरिष्ठ नागरिक और कमजोर वर्ग	खोजपूर्ण, अनुप्रयुक्त अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• किसी को भी पीछे न छोड़ना: समानता को प्रोत्साहित करना और कमजोर वर्ग की आबादी के लिए समावेशन
खेल अवसंरचना	सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• भविष्य के लिए तंदुरूस्ती: स्वास्थ्य और आरोग्यता के लिए खेल सुविधाओं का आधुनिकीकरण; • खेल अवसंरचना परियोजनाओं में पहुंच और समावेशिता का विश्लेषण
3. **(बी) शिक्षा और कौशल**		
एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए रणनीतियाँ	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास: एनईपी 2020 पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों, स्कूल नेताओं और शिक्षा प्रशासकों की क्षमता निर्माण के लिए रणनीतियों की जांच करना। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नेतृत्व विकास पहल और निरंतर व्यावसायिक शिक्षण के अवसरों पर शोध शामिल हो सकता है

		• पाठ्यचर्या सुधार और शैक्षणिक नवाचार: पाठ्यक्रम ढांचे को फिर से डिजाइन करने और एनईपी 2020 के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने के लिए शैक्षणिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण की खोज करना, जैसे समग्र और बहु-विषयक शिक्षा, योग्यता-आधारित शिक्षा और अनुभवात्मक सीखने के अवसर।
रोजगार सृजन, कौशल विकास	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• **लिंग और रोजगार:** श्रम बाजारों में लैंगिक असमानताओं का पता लगाना जिसमें रोजगार दरों में अंतर, व्यावसायिक अलगाव, वेतन अंतर और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में बाधाएं शामिल हैं। इसमें लिंग-संवेदनशील नीतियों, शिशु देखभाल सहायता, मातृत्व अवकाश प्रावधानों और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल पर शोध शामिल हो सकता है।
विकास के प्रतिमान मॉडल के रूप में जनजातीय ज्ञान अभ्यास सहित भारतीय ज्ञान प्रणाली	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• स्वदेशी ज्ञान का दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण: मौखिक परंपराओं, सांस्कृतिक प्रथाओं, औषधीय ज्ञान, कृषि तकनीकों और पारिस्थितिक ज्ञान सहित स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण के लिए अनुसंधान विधियाँ। इसमें स्वदेशी भाषाओं, नृवंशविज्ञान, नृवंशऔषधि और पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान का अध्ययन शामिल हो सकता है;

		• विकास नीतियों और कार्यक्रमों में स्वदेशी ज्ञान का एकीकरण: कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आपदा जोखिम में कमी सहित मुख्यधारा के विकास पहलों में स्वदेशी ज्ञान को एकीकृत करने के लिए रणनीतियों की जांच करना। इसमें नीतिगत ढांचे, संस्थागत तंत्र और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर शोध शामिल हो सकता है
सामाजिक भावनात्मक शिक्षा	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• एसईएल में माता-पिता और परिवार की भागीदारी: घर पर और स्कूलों के साथ साझेदारी में सामाजिक-भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने में माता-पिता और परिवारों को शामिल करने के लिए रणनीतियों की जांच करना। इसमें बच्चों के सामाजिक-भावनात्मक विकास में सहायता के लिए अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमों, परिवार-स्कूल साझेदारी और घर-आधारित एसईएल गतिविधियों पर शोध करना शामिल हो सकता है।
संस्कृति और विरासत	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• सांस्कृतिक विरासत परिरक्षण और संरक्षण: मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों, कलाकृतियों, स्मारकों और परंपराओं के संरक्षण और संरक्षण के लिए रणनीतियों की जांच करना। इसमें विरासत संरक्षण तकनीकों, बहाली के तरीकों और स्थिर प्रबंधन प्रथाओं पर शोध शामिल हो सकता है।

3. प्रभावी शासन		
3. (ए) विश्व मित्र भारत		
वैश्विक बाजार में भारत	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• कपड़ा, मसाले, फार्मास्यूटिकल्स आदि के संदर्भ में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ। • विनिर्माण क्षमता "मेक इन इंडिया" रणनीति
अभिनव साझेदारी	खोजपूर्ण, अनुप्रयुक्त और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• इको-टेक प्रणाली • स्वच्छ प्रौद्योगिकी आदि
सामरिक भागीदारी	खोजपूर्ण, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• अंतर-विषयक सहयोग • अतर्राष्ट्रीय सहयोग • इस बात की जांच करना कि कैसे रणनीतिक साझेदारी शिक्षा जगत से उद्योग तक अनुसंधान निष्कर्षों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है और नवाचारों को बाजार में लाने में साझेदारी की भूमिका कैसे निभाती है। • संयुक्त वित्त पोषण और संसाधन आवंटन
राष्ट्रीय सुरक्षा	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• रक्षा प्रणाली निगरानी प्रौद्योगिकी • साइबर सिक्योरिटीज • आतंकवाद विरोधी रणनीति
भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• स्थानीय उत्पादों के व्यापार को सुगम बनाना • पर्यटन, आर्थिक साझेदारी
3.(बी) कानून और शासन		
संवैधानिक, विधायी और न्यायिक सुधार	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• संवैधानिक सुधार और उसका प्रभाव • विधायी और न्यायिक सुधार और इसका प्रभाव • चुनाव सुधार

		• आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार • न्याय तक पहुंच, • कानूनी बहुलवाद आदि।
समावेशी शासन का भारतीय मॉडल	खोजपूर्ण, सर्वोत्तम अभ्यास और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• पारदर्शिता और जवाबदेही • समावेशी शासन का भारतीय प्रतिमान; प्रतिमान विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों के अंतर्संबंध को पहचानता है • सतत विकास प्रथाओं पर जोर जो बाजार विकास, लोगों और शासन के संदर्भ में आर्थिक विकास को संतुलित करता है
स्थानीय स्वशासन को उन्नत बनाना	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• ई-गवर्नेंस, समावेशी शासन, गांवों में लिंग-संवेदनशील सरकार, विकेंद्रीकरण आदि।
पुलिसिंग सुधार	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• कार्यकारी शासन में सुधार • कानून एवं व्यवस्था में सुधार • वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना
4. अनुसंधान, नवाचार और विकास		
4.बी स्वदेशी नवाचार		
स्वदेशी नवाचार	खोजपूर्ण	• आर्थिक विकास के लिए स्वदेशी कारीगरी और शिल्प कौशल प्रथाओं का दस्तावेजीकरण स्वदेशी नेतृत्व वाले उद्यम और आर्थिक सशक्तिकरण की खोज

बी. 2. सीआरपी खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान अध्ययन के तहत पहचाने गए विषय और उप-विषय इस प्रकार हैं:-

विषयवस्तु और उप-विषय	**अनुसंधान का प्रकार**	**अनुसंधान के क्षेत्र**

1. आर्थिक समृद्धि और स्थिरता		
1. ए प्राकृतिक संसाधन और क्षेत्रीय विकास		
सतत कृषि पद्धतियां	खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• कृषि पारिस्थितिकी और कृषि वानिकी प्रणाली • सतत कृषि के लिए नीति और संस्थागत समर्थन • सतत कृषि के लिए मूल्य-श्रृंखला दृष्टिकोण (बाजार लिंकेज, मूल्य संवर्धन, किसान सहकारी समितियों और निष्पक्ष व्यापार पहल सहित छोटे धारकों की आजीविका और ग्रामीण विकास पर उनके प्रभाव का आकलन)
खाद्य सुरक्षा एवं पोषण	खोजपूर्ण और प्रायोगिक अनुसंधान	• समुदाय-आधारित खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेप • शहरी कृषि और सूक्ष्म पोषक तत्व पहुंच (उदाहरण के लिए, छत पर उद्यान, सामुदायिक उद्यान, ऊर्ध्वाधर खेती) • खाद्य सुरक्षा में लिंग गतिशीलता
कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृत्रिम बौद्धिक क्षमताएं	खोजपूर्ण और प्रायोगिक अनुसंधान	• ग्रामीण समुदायों के लिए डिजिटल विस्तार सेवाएँ (जैसे, मोबाइल ऐप्स, चैटबॉट्स, इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम) • ग्रामीण अवसंरचना योजना और अनुकूलन (जैसे, सड़क नेटवर्क, सिंचाई प्रणाली, बाजार सुविधाएं)
सतत आजीविका और ग्रामीण परिवर्तन	खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त अनुसंधान	• ग्रामीण व्यावसायिक और आजीविका विविधीकरण रणनीतियाँ • रोजगार परिदृश्य में बदलाव • डिजिटल प्रौद्योगिकी और ग्रामीण आजीविका, ग्रामीण पर्यटन
1.बी आर्थिक समृद्धि		

हरित और नीली अर्थव्यवस्था	खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	नीली अर्थव्यवस्था • ब्लू कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु परिवर्तन शमन • समुद्री स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (एमएसडीआई)-(जानें कि कैसे एमएसडीआई समुद्री पर्यटन, जैव प्रौद्योगिकी और समुद्री परिवहन जैसे क्षेत्रों में डेटा-संचालित नवाचार और उद्यमशीलता को सक्षम कर सकता है, बाजार विश्लेषण, बुनियादी ढांचे की योजना और निवेश निर्णय लेने के लिए स्थानिक डेटा (डेटा का प्रकार जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या स्थान का संदर्भ देता है) तक पहुंच • ईईजेड में सतत मत्स्य पालन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था • हरित भवन प्रौद्योगिकियां और सतत डिजाइन (उदाहरण के लिए, निष्क्रिय सौर डिजाइन, हरित सामग्री, ऊर्जा-कुशल एचवीएसी सिस्टम) • हरित परिवहन और गतिशीलता समाधान (जैसे, इलेक्ट्रिक वाहन, बाइक-शेयरिंग कार्यक्रम, पैदल यात्री अनुकूल बुनियादी ढाँचा) • हरित वित्त और प्रभाव निवेश (जैसे, हरित बांड, सामाजिक प्रभाव निधि, हरित उद्यम पूंजी)
उद्योग 4.0	खोजपूर्ण और प्रायोगिक अनुसंधान	• उद्योग 4.0 को अपनाना • भारतीय लघु सूक्ष्म उद्यमों में प्रौद्योगिकियां (तकनीकी तत्परता, संगठनात्मक क्षमताओं पर विचार करते

		हुए, भारत में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) के बीच उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों (जैसे, IoT, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग) को अपनाने में बाधाओं और सुविधाकर्ताओं की जांच करें और गोद लेने के निर्णयों को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारक) • एआई और डेटा एनालिटिक्स के नैतिक और सामाजिक निहितार्थ • बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था वाले उद्योगों में तकनीकी नवाचार और संसाधन विकास (स्वचालन, रिमोट सेंसिंग और डेटा एनालिटिक्स)। • प्रशासन, चुनाव और स्थानीय स्वशासन के लिए एआई (कृत्रिम बौद्धिक क्षमताएं)
शहर और स्थिरता	खोजपूर्ण और प्रायोगिक अनुसंधान	• पारगमन उन्मुखी विकास और सतत गतिशीलता • एक शहर, एक उत्पाद • शहरों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना • जल सुरक्षा और सतत शहरी जल प्रबंधन • अनौपचारिक बस्ती उन्नयन और झुग्गी बस्ती पुनर्वास • शहर के विकास के लिए संतुलित दृष्टिकोण • जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए हरित बुनियादी ढांचे और शहरी जैव विविधता संरक्षण के लिए एआई-आधारित स्मार्ट प्रौद्योगिकियां

प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला	खोजपूर्ण और प्रायोगिक अनुसंधान	• विनिर्माण में क्लस्टर और औद्योगिक समूह • प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए उद्योग-अकादमिक सहयोग • प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान का प्रसार • वोकल फॉर लोकल (स्थानीय उत्पादों के लिए प्रचार-प्रसार)
2. मानव संसाधन, समग्र वृद्धि एवं विकास		
2. (ए) समावेशी सामाजिक विकास		
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना	खोजपूर्ण और प्रायोगिक अनुसंधान	• ग्रामीण और स्मार्ट शहरों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग का तुलनात्मक अध्ययन; • पहुंच, साक्षरता और पहुंच पहल के माध्यम से डिजिटल विभाजन को पाटने की रणनीतियाँ
कृत्रिम बौद्धिक क्षमताएं और उन्नत कौशल	खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• अनुकूलि कौशल प्रशिक्षण के लिए एआई: व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और सीखने की शैलियों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए एआई संचालित अनुकूली शिक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग की खोज। इसमें अनुकूली मूल्यांकन तकनीकों, बुद्धिमान शिक्षण प्रणालियों और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया तंत्रों पर शोध करना शामिल हो सकता है।
योग और आयुर्वेद	खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• योग और आयुर्वेद शिक्षा और प्रशिक्षण: • योग प्रशिक्षकों के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम विकास और योग्यता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच करना,

		• आयुर्वेदिक चिकित्सक, और एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण मानकों, मान्यता प्रक्रियाओं और योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में सतत शिक्षा आवश्यकताओं पर शोध शामिल हो सकता है।
3. प्रभावी शासन		
3.बी कानून और शासन		
न्यायालय प्रबंधन	खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• प्रगति रिपोर्ट की देरी पर नज़र रखने के लिए केस प्रबंधन प्रणाली में सुधार
आपदा प्रबंधन और सतत बुनियादी ढाँचा विकास	खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	मिट्टी और मौसम के अनुसार जलवायु-स्मार्ट कृषि तटीय सुरक्षा उपाय
4. अनुसंधान, नवाचार और विकास		
4.ए प्रौद्योगिकी और नवाचार		
प्रौद्योगिकी और नवाचार	खोजपूर्ण और प्रायोगिक अनुसंधान	• सतत शहरी विकास पर प्रौद्योगिकी शहरी नवप्रवर्तन का प्रभाव • डिजिटल विभाजन और समावेशिता उद्यमिता के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका
सामाजिक विकास हेतु नवाचार	खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• पर्यटन पहल पर आधारित सामुदायिक प्रौद्योगिकी • शिक्षा के लिए उपयोगी ऑनलाइन मंचों की खोज करना
स्वच्छ एवं किफ़ायती ऊर्जा तक पहुंच	खोजपूर्ण और प्रायोगिक अनुसंधान	• गृह आधारित स्वच्छ खाना पकाने के उपायों की पहचान • ऊर्जा उपलब्धता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका • नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का ग्रिड एकीकरण।

डिजिटल परिवर्तन और लचीले पारिस्थितिकी तंत्र (इको-सिस्टम) का निर्माण	खोजपूर्ण, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• पारिस्थितिकी तंत्र का पुनःस्थापन और संरक्षण • डिजिटल उद्यमियों के लिए सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
सौर मिशन	खोजपूर्ण और प्रायोगिक अनुसंधान	• आत्मनिर्भर ज्ञान नेटवर्क का विकास • पर्यावरण अनुकूल 'चूल्हा' विकसित करना
साइबर सुरक्षा	खोजपरक और प्रायोगिक अनुसंधान	• साइबर सुरक्षा के मानवीय पहलुओं की खोज करना • व्यक्ति की निजता की सुरक्षा हेतु तकनीकों की खोज करना साइबर खतरों और हमलावरों के बारे में आंकडें एकत्र और उसका विश्लेषण करने की प्रणाली
'वेस्ट टू वेल्थ' (अपशिष्ट से सम्पदा)	खोजपूर्ण और प्रायोगिक अनुसंधान	• 'अपशिष्ट पदार्थों' को उच्च-मांगपरक उत्पादों और वस्तुओं में परिवर्तित करके उन्हें मूल्यवर्धित करने के तरीकों का पता लगाना • पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग समाधान विकसित करना • अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास करना
4.बी स्वदेशी प्रौद्योगिकी नवाचार और विकास		
भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी	खोजपरक और प्रायोगिक अनुसंधान	• कृषि और सतत कृषि पद्धतियों में प्रौद्योगिकी की प्रगति और उपयोग की खोज करना • स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकरणों एवं हस्तक्षेपों को नवीनीकृत करने में तकनीकी उपयोग का पता लगाना

स्वदेशी औषधि	खोजपरक, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• पारंपरिक उपचार की खोज करना जिसमें विभिन्न पद्धतियों, ज्ञान प्रणालियों और उपचारों को शामिल किया गया है • स्वास्थ्य पर आध्यात्मिक अभ्यासों के प्रभाव का पता लगाना
स्वदेशी नवप्रवर्तन	खोजपरक, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान	• आर्थिक विकास के लिए स्वदेशी कारीगरी और शिल्प कौशल पद्धतियों का दस्तावेजीकरण करना • स्वदेशी नेतृत्वपरक उद्यम और आर्थिक सशक्तिकरण की खोज करना

1.1 परियोजना की अवधि

चयनित विषयों या अनुसंधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्रेणी 'ए' 'खोजपूर्ण और अनुप्रयुक्त सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना' के लिए अध्ययन की अवधि 8 से 12 महीने तक अलग-अलग होगी।

जबकि श्रेणी 'बी' खोजपूरक, प्रायोगिक और अनुदैर्ध्य सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना के लिए संतोषजनक प्रगति और क्षमता के आधार पर संभावना के मुद्ददे नज़र जनता की भलाई के लिए संभावित अनुप्रयोगों वाले ठोस आवधिक परिणाम उत्पन्न करने के लिए चल रहे अनुसंधान शोध के पूरा होने और निष्पादन की। अवधि को तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

1.1.1 आईसीएसएसआर निगरानी और मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त निर्देश के अनुसार शोधकर्ता को सहयोगात्मक अनुसंधान संभावित प्रस्ताव में पहचाने गए आवश्यक परिवर्तन करने और उसे पुनः प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

1.1.2 मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान, आईसीएसएसआर विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार करते हुए और बाद में प्रस्ताव की स्थिति श्रेणी 'ए' से 'बी' या इसके विपरीत बदलाव कर सकता है। आईसीएसएसआर किसी भी परियोजना की अवधि और बजट को बढ़ाने या घटाने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता है।

2 पात्रता

2.1 शिक्षा मंत्रालय द्वारा परिभाषित आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/यूजीसी-मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/मानित संस्थानों से संबद्ध 12 बी/2एफ के अंतर्गत संस्थानों के परियोजना समन्वयक और परियोजना निदेशक आवेदन करने के पात्र हैं।

हालांकि, उक्त उद्देश्य के लिए अन्य पंजीकृत संगठनों के अनुसंधानकर्त्ता स्थापित अनुसंधान और अकादमिक प्रतिष्ठा के लिए उपर्युक्त संस्थानों में से किसी के साथ सहयोग कर सकते हैं।

2.2 परियोजना समन्वयक और सभी परियोजना निदेशकों (कॉर्पोरेट घरानों के सदस्यों को छोड़कर) को नियमित संकाय होना चाहिए और उनके पास पीएच.डी.डिग्री के साथ उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान एवं प्रकाशन की उपलब्धियां होनी चाहिए।

2.3 सिविल सेवक, रक्षा सेवाओं के अधिकारी और सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य वाले अन्य पेशेवर पुस्तकों/शोध पत्रों/रिपोर्टों/नीति दस्तावेजों आदि के प्रकाशन के माध्यम से कम से कम 20 वर्ष की नियमित सेवा और प्रदर्शित करने योग्य अनुसंधान अनुभव वाले भी खंड 2.2 (ए) में दिए गए संस्थानों से सामाजिक विज्ञान विषय में संकाय के संयुक्त सहयोग सहित आवेदन कर सकते हैं।

3. आवेदन कैसे करें

3.1 प्रस्ताव हमारी वेबसाइट www.icssr.org के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन पत्र दिनांक 22 अप्रैल 2024 को आईसीएसएसआर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 होगी। उम्मीदवारों को अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा जिसमें दिए गए शोध प्रस्ताव शामिल होंगे। उन्हें इसकी मुद्रित प्रति भी जमा करनी होगी तथा उनके आवेदन और अनुलग्नक ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि से 10 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान सम्बद्धता के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत अग्रेषित किये जायेंगे।

3.2 आवेदन केवल आईसीएसएसआर वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी आवेदन प्राप्त नहीं होने पर आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी।

3.3 शोध प्रस्ताव या तो अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए (हिंदी में आवेदन पत्र भरने के लिए यूनिकोड का उपयोग करें)।

3.4 सहयोगात्मक अनुसंधान प्रस्ताव परियोजना समन्वयक द्वारा अपने ईमेल पता उपयोग करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.5 सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित विस्तृत सीवी पूर्ण पता सहित संलग्न किया जाना चाहिए।

4 अधिनिर्णय की प्रक्रिया

4.1 आईसीएसएसआर को प्रस्तुत किए गए सभी आवेदनों की एक गोपनीयता समीक्षा प्रक्रिया के बाद विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच और मूल्यांकन किया जाएगा। चयनित किए गए आवेदकों को

आईसीएसएसआर में बातचीत/प्रस्तुति के लिए (व्यक्तिगत रूप से आभासी) आमंत्रित किया जाएगा। विशेषज्ञ समितियाँ अध्ययनों के बारे में को अधिनिर्णय करने के लिए सिफ़ारिशें करेंगी और प्रस्तावित अध्ययनों के लिए बजट का भी सुझाव देंगी।

4.2 परियोजना का अधिनिर्णय पूरी तरह से विशेषज्ञ समिति (एस) की सिफ़ारिश के अनुसार प्रस्ताव की उत्कृष्टता और गुण-दोषों के आधार पर प्रदान किया जाएगा, जो आईसीएसएसआर के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हों।

4.3 अनुमोदन के पश्चात् अधिनिर्मित विजेताओं की सूची हमारी वेबसाइट www.icssr.org पर प्रकाशित की जाएगी।

5 बजट अवधि और मूल्य

5.1 परियोजनाएं 08 से 12 महीने की अवधि के लिए होंगी। हालाँकि, 1 के तहत उल्लिखित अनुसंधान परियोजना को अनुसंधान के प्रदर्शन और प्रासंगिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

5.2 परियोजना आबंटन के तुरंत बाद अध्ययन शुरू किया जाना है।

5.3 परियोजना समन्वयक निम्नलिखित व्यापक व्यय उप-शीर्षों के अधीन बजट का प्रस्ताव करेगा:-

क्र.सं.	**व्यय शीर्ष**	**कीमत**
1.	अनुसंधान कर्मीगण: पूर्णकालिक/अंशकालिक/किराए पर ली गई सेवाएँ	कुल बजट का 40% से अधिक नहीं
2.	क्षेत्रीय अध्ययन (फील्डवर्क): यात्रा/ठहरना/बोर्डिंग, सर्वेक्षण तैयारी या परामर्श आदि।	30% से अधिक नहीं
3.	विचारों को एकत्रित करने के लिए परियोजना की शुरुआत में सेमिनार/सम्मेलन का आयोजन (केवल 25 सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रस्तुतियाँ)	15% तक (आईएनआर 2.25 लाख से अधिक नहीं)
4.	उपकरण एवं अध्ययन सामग्री:	10% से अधिक नहीं
5.	आकस्मिकता	5% से अधिक नहीं
6.	संस्थागत ओवरहेड्स (परियोजना की कुल लागत के अतिरिक्त)	अनुमोदित बजट के 7.5% की दर से संबद्ध संस्थागत ओवरहेड (उपरिव्यय)

6 परियोजना कर्मचारियों का पारिश्रमिक और परिलब्धियाँ

6.1 परियोजना कर्मचारियों को अनुसंधान कार्य के दौरान पूर्ण/अंशकालिक आधार पर परियोजना निदेशक द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और उनके रोजगार की अवधि/समेकित मासिक

परिलब्धियाँ परियोजना निदेशक द्वारा स्वीकृत वित्तीय आवंटन की सीमा के भीतर और आईसीएसएसआर नियम के अनुसार तय की जा सकती हैं।

6.2 रिसर्च एसोसिएट @ रु.37,000/- प्रति माह

(योग्यता- केवल सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर (न्यूनतम 55%) नेट/एम.फिल./पीएचडी के साथ और 2 साल का शोध अनुभव)

6.3 अनुसंधान सहायक @ रु.37,000/- प्रति माह

(योग्यता- पीएच.डी./एम.फिल/न्यूनतम 55% के साथ सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर)

6.4 फील्ड अन्वेषक @ रु.20,000/- प्रति माह। (6 माह से अधिक नहीं)

(योग्यता- न्यूनतम 55% के साथ सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर)।

6.5 संस्थान आईसीएसएसआर की पूर्व मंजूरी के साथ स्वीकृत बजट के 10% तक के खर्च को फिर से विनियोजित कर सकता है।

6.6 अनुसंधान कर्मचारी का चयन प्रतिस्पर्धी तरीके से किया जाना चाहिए।

6.7 परियोजना निदेशक और परियोजना स्टाफ के सभी क्षेत्रीय कार्य-संबंधी खर्चों के लिए संबद्ध संस्थानों/विश्वविद्यालयों के नियमों का पालन किया जाएगा।

6.8 परियोजना निधि से खरीदे गए सभी उपकरण और किताबें संबद्ध संस्था की संपत्ति होंगी। हालाँकि, यदि आवश्यकता हो तो ।CSSR किताबें या/और उपकरण मांग सकता है।

6.9 आबंटित शोध से संबंधित कोई प्रकाशन/प्रस्तुति किसी भी रूप में शोधकर्ता या अनुसंधान दल के किसी भी सदस्य द्वारा आईसीएसएसआर की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।

7. अनुदानों का शामिल होना और जारी होना

7.1 परियोजना निदेशक को अधिनिर्णय पत्र (अवार्ड पत्र) प्राप्त होने के तुरंत बाद परियोजना में शामिल होना होगा। शामिल होने के लिए विद्वान को पहली किस्त जारी करने के लिए एक 'घोषणा पत्र' प्रारंभ होने की तारीख और अनुदान सहायता बिल जमा करना होगा। आईसीएसएसआर के पास इस विशेष उद्देश्य के लिए एक निगरानी और सलाहकार समिति नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

7.2 अनुसंधान परियोजना के लिए स्वीकृत अनुदान मंजूरी पत्र में दर्शाए अनुसार किश्तों में जारी किया जाएगा।

7.3 अनुदान परियोजना समन्वयक की संबद्ध संस्था को जारी किया जाएगा और वह भाग लेने वाले शोधकर्ताओं के बीच धन के वितरण पर निर्णय लेगा।

8. शोध अध्ययन की निगरानी

8.1 परियोजना निदेशक द्वारा किए गए अनुसंधान की समीक्षा आईसीएसएसआर द्वारा गठित निगरानी और सलाहकार समिति के माध्यम से की जा सकती है और अनुसंधान में प्रगति के असंतोष पाए जाने या आईसीएसएसआर नियमों के उल्लंघन करने पर परियोजना को बंद या समाप्त किया जा सकता है।

8.2 विज़न विकसित भारत@2047 के लिए चयनित विषय से संबंधित विचारों को एकत्रित करने के लिए परियोजना समन्वयक अनुसंधान परियोजना की शुरुआत में एक सेमिनार/सम्मेलन का आयोजन करेगा विज़न सेमिनार/सम्मेलन 25 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्रों की प्रस्तुति पर केंद्रित होगा जिसमे प्रकाशन के लिए कागजात तैयार हों संपादकीय बोर्ड में एक आईसीएसएसआर प्रतिनिधि होगा।

8.3 आईसीएसएसआर परियोजना समन्वयक से अपेक्षा करता है कि वह प्रकाशन योग्य उच्च गुणवत्ता वाली अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे जो हो एक प्रतिष्ठित प्रकाशक द्वारा प्रकाशन योग्य हो। पुस्तक रूप में प्रकाशन के लिए अंतिम रिपोर्ट के उपरांत सुझाए गए संशोधनों या सुधारों के अधीन पुस्तक को प्रकाशित करने का पहला अधिकार आईसीएसएसआर के पास होगा।

8.4 परियोजना से संबंधित सभी प्रश्नों को समय पर उत्तर प्राप्त करने हेतु पत्र संबद्ध संस्थान के परियोजना समन्वयक को संबोधित किया जाएगा।

8.5 आईसीएसएसआर किसी भी समय परियोजना से संबंधित खातों के सत्यापन और उससे संबंधित अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की मांग कर सकता है।

8.6 आईसीएसएसआर अपने विशेषज्ञों के दल के माध्यम से अनुसंधान परियोजना की मध्यावधि मूल्यांकन या नियमित समीक्षा बैठकें कर सकता है।

8.7 आईसीएसएसआर अध्ययन गुणवत्ता को पूरा करने और सुविधा सुनिश्चित करने हेतु अपने किसी भी क्षेत्रीय केंद्र या अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय महत्व के किसी अन्य संस्थान के साथ किसी अध्ययन को संबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.8 यदि परियोजना समन्वयक अनुसूची के अनुसार पर्याप्त औचित्य के आधार पर आवधिक/अंतिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो विद्वान को भविष्य में सभी वित्तीय सहायता प्राप्त करने से वंचित किया जा सकता है एवं आईसीएसएसआर द्वारा जारी की गई पूरी राशि दंडात्मक ब्याज सहित वापस करनी होगी।

9. अन्य शर्तें

9.1 आकस्मिक अनुदान का उपयोग स्टेशनरी, कंप्यूटर टाइपिंग-संबंधी लागत, अनुसंधान परियोजना से संबंधित डेटा विश्लेषण, क्षेत्र यात्राओं के लिए परामर्श आदि विशेष सहायता के लिए किया जा सकता है।

9.2 हालाँकि, सेवानिवृत्त शिक्षक और सरकारी/रक्षा अधिकारी भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं तथापि उन्हें आईसीएसएसआर क्षेत्रीय केंद्रों/अनुसंधान संस्थानों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/यूजीसी से मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय/अपनी पसंद के डीम्ड विश्वविद्यालय से संबद्ध होना आवश्यक है।

9.3 आईसीएसएसआर की किसी भी पिछली फ़ेलोशिप/परियोजना/अनुदान के चूककर्ता तब तक विचार के पात्र नहीं होंगे जब तक कि आवेदक संबंधित प्रशासनिक प्रभाग से मंजूरी नहीं प्राप्त कर लेता है।

9.4 दो आईसीएसएसआर अनुसंधान परियोजनाओं के बीच न्यूनतम दो वर्ष का अंतर होगा, ऐसा करना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र में शोधकर्ता द्वारा पूर्व में लिए गए परियोजनाओं का अवश्य उल्लेख किया जाए। जानकारी को छुपाने से परियोजना रद्द हो सकती है।

9.5 किसी भी विद्वान को किसी भी आईसीएसएसआर फ़ेलोशिप के साथ शोध परियोजना लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.6 योजना के अंतर्गत विदेश यात्रा की अनुमति नहीं है। हालाँकि, परियोजना निदेशक असाधारण मामलों में और यदि प्रस्ताव की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक हो तो भारत के बाहर डेटा संग्रह कर सकता है। इसके लिए आईसीएसएसआर की डेटा संग्रह योजना के तहत विचार के लिए अलग से आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए आईसीएसएसआर के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के पास आवेदन अलग से जमा करना होगा लेकिन वहां किसी भी अस्वीकृति का अध्ययन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। इसे एक बहाने के तौर पर नहीं लिया जा सकता।

9.7 स्वीकृत बजट से अधिक अतिरिक्त अनुदान के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.8 परियोजना समन्वयक/परियोजना निदेशक, परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

9.9 परियोजना निदेशक सहित परियोजना स्टाफ के किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी संस्थान से वित्त पोषण या किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री/डिप्लोमा या अवार्ड के लिए परियोजना प्रस्ताव/अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

9.10 अनुसंधान परियोजना के लिए उपकरण/परिसंपत्तियों की खरीद की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वह मूल रूप से पुरस्कार के दौरान आईसीएसएसआर द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित और अनुमेय राशि से अधिक नहीं है और संबद्ध संस्था के नियमों का पालन किया गया हो।

9.11 परियोजना समन्वयक/परियोजना निदेशक आईसीएसएसआर को रिपोर्ट करेगा।

यदि कोई भी:

ए) किसी भी स्तर पर अनुसंधान डिजाइन में परिवर्तन करता है। आईसीएसएसआर की पूर्व मंजूरी के बिना उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

बी) किसी परियोजना के स्थानांतरण/स्थानापन्न परियोजना निदेशक की नियुक्ति के संबंध में।

सी) किसी विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुरोध पर आईसीएसएसआर असाधारण परिस्थितियों में समन्वयक/परियोजना निदेशक स्थानापन्न परियोजना की नियुक्ति की अनुमति दे सकता है :-

डी) यदि आईसीएसएसआर आश्वस्त है कि परियोजना का मूल समन्वयक/निदेशक अध्ययन को सफलतापूर्वक पूरा करने की स्थिति में नहीं होगा तो आईसीएसएसआर एक स्थानापन्न परियोजना समन्वयक/परियोजना निदेशक की नियुक्ति भी कर सकता है।

ई) आईसीएसएसआर परियोजना के स्थान को एक संबद्ध संस्थान से दूसरे संस्थान में निम्नलिखित प्रस्तुत करने पर स्थानांतरित कर सकता है:-

1) संतोषजनक प्रगति रिपोर्ट;

2) पिछले और नए विश्वविद्यालय/संस्थान दोनों से अनापत्ति प्रमाण पत्र;

3) खाते का लेखा परीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाण पत्र, साथ ही अव्ययित शेष, यदि कोई हो।

हालाँकि, अध्ययन के अंतिम तीन महीनों में परियोजना समन्वयक/परियोजना निदेशक के किसी स्थानांतरण का अनुरोध नहीं किया जाना चाहिए

एफ) उपरिव्यय प्रभार जारी किए गए अनुदान के अनुसार संस्थानों के बीच आनुपातिक रूप से साझा किया जाएगा जिसका अंतिम निर्णय आईसीएसएसआर द्वारा लिया जाएगा।

9.12 परियोजना समन्वयक/परियोजना निदेशक की सेवानिवृत्ति की स्थिति में एवं यदि परियोजना के हस्तांतरण की आवश्यकता संस्था के नियमों के अनुसार अपेक्षित है तो आईसीएसएसआर की पूर्वानुमोदन के साथ विचार किया जा सकता है। परियोजना का श्रेय मूल परियोजना प्रस्तुत करने वाले परियोजना समन्वयक/परियोजना निदेशक को दिया जाएगा।

9.13 इस विशेष कॉल के तहत प्रस्तुत प्रस्तावों पर किसी अन्य कॉल के तहत विचार नहीं किया जाएगा एवं एक नया प्रस्ताव उसमें निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

9.14 आईसीएसएसआर के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और किसी भी डाक विलंब/हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है।

9.15 किसी भी दृष्टि से अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

9.16 दिशा-निर्देशों या किसी भी मुद्दे की व्याख्या से संबंधित अंतिम अधिकार ।CSSR के पास निहित है।

9.17 कॉल के परिणामों की अंतिम घोषणा होने तक आईसीएसएसआर द्वारा किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई किसी परियोजना अवार्ड के लिए किसी भी प्रकार की पैरवी अयोग्यता मानी जाएगी।

9.18. आईसीएसएसआर महिलाओं, संबंधित लोगों जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले वर्गों शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों/जिलों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक प्रयास करता है।

9.19 अनुसंधानकर्ता पर उसके करियर/अनुसंधान कैरियर के दौरान दंड किसी प्रकार की अनुशासनात्मक/कानूनी कार्रवाई/कार्यवाही/वित्तीय दंड नहीं लगी होनी चाहिए।

9.20 विद्वान द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को आईसीएसएसआर द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों/विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृति की सिफारिश की मई अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद ही संतोषजनक माना जाएगा।

9.21 आईसीएसएसआर इसके द्वारा वित्त पोषित परियोजना को प्रकाशित करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता है, बशर्ते कि प्रकाशन कार्य की सिफ़ारिश आईसीएसएसआर द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ/विशेषज्ञों द्वारा की जाए।

9.22 आईसीएसएसआर संबद्धता को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि यह पाया जाता है कि संबद्ध संस्थान विद्वान के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और इस अध्ययन के समय पर पूरा होने की सुविधा नहीं दे रहा है।

9.23 शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के निर्देशों के अनुसार स्वीकृत अनुदान की राशि का उपयोग परियोजना की अवधि के भीतर किया जाना है। अनुदान की कोई भी अव्ययित राशि परियोजना की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद आईसीएसएसआर को वापस कर दी जाएगी। यदि अनुदानग्राही को राशि अनुदान का उपयोग उस प्रयोजन के लिए करने में विफल रहता है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है/या निर्धारित अवधि के भीतर व्यय का लेखा-परीक्षित ब्यौरा नहीं जमा करता है तो अनुदानग्राही को वापस करना होगा।

10 परियोजना का समापन

10.1 परियोजना के पूरा होने पर, विद्वान को परियोजना अंतिम रिपोर्ट का मसौदा और कार्यकारी सारांश प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट को मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति को भेजा जाएगा। समिति से संतोषजनक टिप्पणी प्राप्त करने के बाद विद्वान को तीन हार्ड कॉपी के साथ कार्यकारी सारांश और सॉफ्ट कॉपी आईसीएसएसआर प्रस्तुत करना होगा।

यदि आईसीएसएसआर शोध कार्य के प्रकाशन को मंजूरी देता है तो विद्वान को परियोजना आउटपुट के परिणामस्वरूप सभी प्रकाशनों में (शोध पत्र, किताबें, लेख, रिपोर्ट, आदि) में अध्ययन के दौरान या यहां तक कि इसके पूरा होने के बाद यह उल्लेख करना होगा कि परियोजना आईसीएसएसआर द्वारा प्रायोजित की गयी है तथा उपर्युक्त की एक प्रति आईसीएसएसआर को जमा करना होगा।

11. संबद्ध संस्था के कर्तव्य

11.1 संबद्ध संस्थान के लिए आईसीएसएसआर अनुदान को शासित और प्रबंधन करने हेतु आवेदन पत्र में निहित निर्धारित प्रारूप में वचन देना आवश्यक है। पीएफएमएस के तहत निधि अंतरण के लिए एक समर्पित खाता खोलना भी आवश्यक है।

11.2 विद्वान के लिए अपेक्षित अनुसंधान अवसंरचना प्रदान करना और उचित लेखा बनाए रखना भी आवश्यक होगा।

11.3 परियोजना समन्वयक के लिए यह सुनिश्चित करने की अनिवार्यता है कि संबद्ध संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित (निर्धारित प्रोफार्मा जीएफआर 12-ए में), अंतिम रिपोर्ट और खातों का लेखापरीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

11.4 संबद्ध संस्था अध्ययन से संबंधित आंकड़ों जैसे कि भरी हुई अनुसूचियों, सारणीबद्ध पत्रकों, पांडुलिपियों, रिपोर्टों आदि के संरक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगी। आईसीएसएसआर के पास अपरिष्कृत आंकडें या अध्ययन के ऐसे हिस्सों की मांग का

अधिकार सुरक्षित है जिसे वह उचित समझता है।